न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 41/2019

भगवानाराम पुत्र सूरजाराम जाति माली निवासी ढाणी श्यामदासवाली तन पपुरना तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू

—रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम भगवाना राम अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 54/2018 निर्णय दिनांक 21.06.2019

उपस्थितिः—

1 .मो.अब्बास भाटी, एडवोकेट ———— ———— ————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ——————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 30.10.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.06.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भगवानाराम मु0 नं0 54/2019 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नहीं किया गया। उक्त खसरा नंबर में आबादी 100 वर्ष से अधिक समय से बसी हुई है। अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है, उक्त जगह को काफी मेहनत करके अपने निवास के काम में ले रहा है। उक्त तथ्यों पर अदालत मातहत ने गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल कानूनी की है। अपीलांट व उसका परिवार करीब 40—50 वर्षों से अधिक समय से इसमें बसे हुये हें, उक्त भूमि के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। अपीलांट को राज्य सरकार द्वारा बिजली पानी का कनेक्शन दे रखा है तथा सरकार द्वारा सुलभ शौचालय भी बना रखे हैं तथा खसरा नंबर 1987 में आबादी बसी हुई होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया गया, विचाराधीन है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 21.6.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– विवादित भूमि में 100 वर्ष से अधिक समय से आबादी बसी हुई है। अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त जगह को काफी मेहनत करके अपने निवास के काम में ले रहा है। अपीलांट व उसका परिवार करीब 40–50 वर्षों से अधिक समय से इसमें बसे हुये है। उक्त भूमि के अलावा अपीलांट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। अपीलांट को राज्य सरकार द्वारा बिजली पानी के कनेक्शन दे रखे हैं तथा सरकार द्वारा सुलभ शौचालय भी बना रखे हैं तथा खसरा नंबर 1987 में आबादी बसी हुई होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर महोदय को भिजवाया गया, विचाराधीन है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 21.6.2019 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर आदेश दिनांक 21.6.2019 पारित किया गया है। पारित आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 18.4.2019 के अनुसार ग्राम पपुराना स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 1987 किस्म गैर मु0 पहाड़ के रकबा 225 वर्ग मीटर में

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

पत्थरों का पारा एवं छड़ी बाड़ लगाकर अपीलांट भगवानाराम द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण करना बताया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 उनवानी सरकार बनाम भगवानाराम मु0नं0 54/2019 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू